न्यायालय सिविल जज (सी.डि.), देहरादून।

मूलवाद संख्या 110/2025

(सी.आई.एस. फाइलिंग नम्बर /2025)

गुरू राम राय बनाम अमन रतेडिया

वाद प्रस्तुत करने का दिनांक	: 02.04.2025
वाद का प्रकार	: निषेधाज्ञा
वाद का मूल्यांकन	: 5,00,000/- रूपये
वादी अधिवक्ता का नाम	: श्री एस. पी. सिंह
प्रतिवादी अधिवक्ता का नाम	:

दिनांक 02.04.2025

आज यह मूलवाद वाद पत्र की प्रति के साथ व मुंसरिम आख्या पर सुना गया। वादी के द्वारा बतौर विरासत सम्पत्ति प्राप्त होने का कथन किया है, जिसे मूलवाद वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाता है तथा सी.आई.एस. में एन्ट्री हो। कार्यालय की आख्यानुसार वाद में केविएट अन्तर्गत धारा 148 सी.पी.सी. नहीं है।

प्रतिवादीगण को समन वास्ते प्रतिवाद पत्र दिनांक 2/5/25 एवं वाद बिन्दु हेतु दिनांक 2/5/25 के लिए जारी हो। वादी पैरवी से सम्मन अन्दर सप्ताह में करे। सम्मन तजारत के आदेशिका वाहक से तामील कराया जाए।

(राहुल कुमार श्रीवास्तव)
सिविल जज (सी.डि.),
देहरादून

पुनश्च

प्रार्थना पत्र 6सी2 मय शपथपत्र 7सी2 वादी की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर आदेश हुआ कि-

दिनांक 02.04.2025

वादी द्वारा 6ग प्रार्थना पत्र पर बल दिया गया और एकपक्षीय रूप से सुने जाने की प्रार्थना की गई तथा मामला अर्जेन्ट बताया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. पी. सिंह को प्रार्थना पत्र संख्या 6ग2 मय शपथपत्र पत्र 7सी2 पर सुना गया।

2. वादी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 6सी2 मय शपथपत्र 7ग2 बावत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3 सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. वादी द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह कहते हुये प्रस्तुत किया गया है कि वादी संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है। वादी संस्था इस वाद पत्र के अंत मे वर्णित सम्पत्ति संख्या 01676 में खसरा संख्या 156(ख) रकबा 11.4370 है. भौजा देहराखास माताबाला बाग देहरादून के एकमात्र मालिक व स्वामी है। वादग्रस्त सम्पत्ति महन्त देवेन्द दास जी चेला श्री महन्त इन्द्रेश चरण दास जी सज्दानशीन दरबार श्री गुरू राम राय झंडा मोहल्ला देहरादून के नाम माल खाते में दर्ज है। पूर्व में महंत इन्द्रेश चरण दास जी द्वारा 1999 में पवन शर्मा को वादग्रस्त सम्पत्ति पर स्थित श्री गुरू राम राय अखाड़े में कुश्ती कोच के रूप में नियुक्त किया था। पवन शर्मा ने बीमारी के कारण अखाड़े का शांतिपूर्वक अध्यासन वादी को सौप दिया। दिनांक 16.03.2025 से प्रतिवादी अमन स्वेडिया एवं अन्य असामाजिक तत्व स्वयं पहलवान बनकर कब्जे की नियत से वादग्रस्त सम्पत्ति में बिना अनुमति प्रवेश कर रहे हैं. पेड़ो को काटाने का मिथ्या प्रचार कर रहे हैं और लोगों की भवनाओं को भड़का रहे हैं तथा सोशल मीडिया पर अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। वादी के कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण को रोका तो उन्होंने सम्पत्ति के भीतर एवं बाहर कई बार धरना प्रदर्शन किया। अतः प्रतिवादीगण उनके नौकर, एजेन्ट हित प्रतिनिधि आदि को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाए कि वह वादग्रस्त सम्पत्ति के भीतर व मुख्य द्वारा व बोन्डीवॉल से 500 मीटर की परिधि के भीतर किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन, आवागनम, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करे तथा वादग्रस्त सम्पत्ति में बलपूर्वक अवैध रूप से जबरदस्ती दखल अंदाजी न कर और न ही उसका कारण बनें।

5. वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन शपथपत्र 7सी2, सोसायटी के नवीनीकरण की प्रति, खाता विवरण की प्रति, कुश्ती संघ के प्रपत्र की प्रति, जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र की प्रति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र की प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, सूची के माध्यम से अथोरिटी पत्र की प्रति, मैनेजिंग कमेटी की प्रति, फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया मामला

उपनियम 1 के तहत अर्जेन्ट मामला बताया है तथा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति में पेड काटने का मिथ्या कथन कर जनभावना को भड़काने का एवं सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया जा रहा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति के भीतर व मुख्य द्वारा व दोन्ढीवॉल से 500 मीटर की परिधि के भीतर धरणा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे झंडे जी के मेले में आने वाली संगतों को भी मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

7. वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों तथा प्रस्तुत शपथपत्र के परिशीलन से वर्तमान वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादीगण को अग्रिम नियत तिथि तक वाद पत्र के अंत में दर्शाई गई सम्पत्ति में 500 मीटर की परिधी में धरणा–प्रदर्शन करने, आवागमन, लाउडस्पीकर का इस्तेमान तथा दखलअंदाजी करने से निषेधित किए जाने के लिए कथन किया गया है अन्यथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। मामल अर्जेन्ट होना प्रतीत होता है।

8. तद्नुसार प्रतिवादीगण को अंतरिम निषेधाज्ञा के माध्यम से आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक वाद पत्र के अंत में दर्शाई गई सम्पत्ति में 250 मीटर की परिधि में धरणा प्रदर्शन न करे न करवाए तथा कोई व्यवधान उत्पन्न न करे न करवाए।

9. वादी आदेश 39 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के परन्तुक के खण्ड 'क' व 'ख' का अनुपालन करे जिसके अनुसार यह आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र 6ग एवं उसके साथ प्रस्तुत किए गए शपथपत्र मय संलग्नक तथा वाद पत्र की प्रति एवं अन्य दस्तावेज, जिन पर आवेदक निर्भर करता हे उसे पंजीकृत डाक मय ए.डी. से भेजे।

10. वादी आवेदन 6सी के निस्तारण में तथा तामील कराने में यदि विलम्ब कारित करता है या अनावश्यक रूप से स्थगन पेश करता है तो एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 उपनियम (1) के परन्तु (जो उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सिविल लॉ रिफोर्म अधिनियम, 1976) के तहत प्रभाव मुक्त कर दिया जाएगा।

11. पत्रावली दिनांक 2/5/25 को प्रार्थना पत्र 6ग2 पर आपत्ति/निस्तारण हेतु पेश हो। वादी अविलम्ब पैरवी करें। प्रतिवादी को नियमानुसार नोटिस जारी हो। आदेश एन.जे.डी.जी. पोर्टल पर अपलोड हो।

(signature)
(राहुल कुमार श्रीवास्तव)
सिविल जज (सी.डि.),
देहरादून

आदेश प्रति मय वादपत्र एवं संलग्नक वादी को आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. के अनुपालन हेतु प्रदान किया गया।

(signature) [illegible] ..0..2025